

भाग-2

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना/स्क्रीम का स्थान	-	उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्वा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेय जल योजना में पेय जल पाइप लाईन बिछाने हेतु जिला-महोबा उ०प्र० में प्रभावित संरक्षित 12.4869 हे० एवं आरक्षित 1.9665 हे० कुल 14.4534 हे० वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्ष के गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(1)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	उत्तर प्रदेश
(2)	जिला	-	महोबा
(3)	वन प्रभाग	-	महोबा वन प्रभाग, महोबा।
(4)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	-	कुल 14.4534 हे०
(5)	वन की कानूनी स्थिति	-	संरक्षित/आरक्षित वन
(6)	हरियाली का घनत्व	-	0.1
(7)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जायें सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एस०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मी० भी संलग्न किये जायें।	-	375 वृक्ष बाधक हैं जिनका व्यासवार वर्गीकरण संलग्न है।
(8)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	-	क्षेत्र भू-संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(9)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	-	संरक्षित वनभूमि से लगा है।
(10)	क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल रिजर्व बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाये)	-	नहीं
(11)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	-	नहीं
(12)	क्यों कोई सुरक्षित पुरातत्वी/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	-	नहीं
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, तो जांचे गये विकल्पों के व्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	-	हाँ अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9-	क्या किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कोर्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	-	नहीं।

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा
- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर - संलग्न है।
क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित - प्रस्तावित क्षेत्र का मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाया मैप।
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण - प्रतिपूरक वनीकरण के समय शीशम, चिलबिल, नीम, आवंला, अरू, सिरस, कंजी, बांस आदि प्रजातियों का रोपण विभाग द्वारा किया जायेगा।
स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (4) प्रतिपूरक स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - प्रस्ताव में संलग्न है।
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के - प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्त है।
बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें।)
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम - संलग्न है।
7 (11, 12), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- विभाग/जिला प्रोफाइल
- (1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 326190.00 वर्ग किमी०
- (2) जिले का वन क्षेत्र - 16587.081 हे०
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया - मामले 16 वन क्षेत्र 97.557822 हे०
कुल वन क्षेत्र
- (4) 1980 से जिला/विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - 190.03 हे०
क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि - X
ख- वनेत्तर भूमि पर -
- (5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति -
- क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि - 19.00 हे०
- ख- वनेत्तर भूमि पर - 24.742 हे०
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में - प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस

दिनांक
स्थान- महोबा


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग-महोबा

हस्ताक्षर
नाम प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा-वनप्रभाग
सरकारी मोहर  महोबा